न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश,द्वितीय्,सह विशेष न्यायाधीश,उत्पाद,समस्तीपुर।

दलसिंहसराय थाना काण्ड सं0 275/19, कम्पयूटर निबंधन सं0 1154/19

11.10.19 आवेदक **1. राहुल कुमार,** जो दलसिंहसराय थाना काण्ड सं0 275/19, धारा–30(a) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत दिनांक 23.9.19 से काराधीन है, की ओर से पूर्व दाखिल जमानत आवेदन पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदन की प्रति पूर्व में विद्वान वि0 लोक अभि0 को दी जा चुकी है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री गौतम भारद्वाज जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए निवेदन किये कि आवेदक निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नही किया है। उसके विरूद्व लगाया गया आरोप मनगढ़ंत, असत्य एवं निराधार है। उसे मात्र दुश्मनी के कारण इस वाद में फॅसा दिया गया है। उसके पास से कोई शराब बरामद नही किया गया है। तथाकथित बरामद शराब से उसका कोई संबंध नही है। आरोपित धाराएॅ उसके विरूद्व नही बनती है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नही है। वह दिनांक 23.9.19 से काराधीन है। अतः उसे जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

विद्वान वि0 लोक अभियोजक श्री कृष्ण मुरारी प्रसाद सिन्हा द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। इस वाद की प्राथमिकी आवेदक अभियुक्त के विरूद्व धारा–30(a) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार सूचक द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर आवेदक अभियुक्त को घटनास्थल पर 375 एम0एल0 के दो बोतल विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त दिनाक 23.9.19 से काराधीन है।

उपरोक्त विवेचित परिस्थितियों में आरोप की प्रकृति, बरामद शराब की मात्रा एवं कारावधि को देखते हुए आवेदक अभियुक्त को मो0 दस हजार रू0 के बंध्–पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभूति दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही यह भी आदेश दिया जाता है, कि एक जमानतदार आवेदक अभियुक्त के माता/पिता अथवा निकट संबंधी होगा।

लेखापित

प्र0अपर सत्र न्या0–2

सह वि0 न्या0उत्पाद